

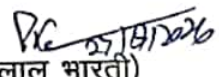
आ0सं0/प्र.रा.वे.-02/ 278 /अनु.स्था./2026-27 दिनांक: 27-अगस्त, 2026

कार्यालय ज्ञाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश (प्र.अ. रा.उ.प्रा.वि.)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 (1) व (2) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति पर उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या/410893/XXIV-B-1/2026/13(12)/2011 TC-I दिनांक 07 जुलाई, 2026 के क्रम में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक: सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17(1) (ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों का अनुरोध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालयों में समान पद एवं वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	पद	वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अनुरोध की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
1	श्री भूपेन्द्र सिंह रावत	प्र.अ.	रा.उ.प्रा.वि. किमाड़ी, सहसपुर, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. पंडितवाड़ी, सहसपुर, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (चार)
2	श्री राजीव कुमार पांथरी	प्र.अ.	रा.उ.प्रा.वि. गलज्वाड़ी, सहसपुर, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. सेवलाकलां, रायपुर, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (पांच)
3	श्री चतर सिंह चौहान	प्र.अ.	रा.उ.प्रा.वि. सराड़ी, कालसी, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. टिमली, विकासनगर, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (पांच)
4	श्री अखलाक अहमद	प्र.अ.	रा.क.उ.प्रा.वि. सहसपुर, सहसपुर, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. देवीपुर, सहसपुर, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (पांच)

1. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों के स्थानान्तरण के कारण यदि सम्बन्धित विद्यालय में आर.टी.ई. मानकानुसार शिक्षकों की कमी होती है तो स्थानान्तरित शिक्षक प्रतिस्थानी के आने पर ही विद्यालय विद्यालय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
3. स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।


(प्रेमलाल भारती)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)
देहरादून।

पृ0सं0/ प्र.रा.वे.-02/ 4930-39 /अनु.स्था./2026-27 तददिनांक।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

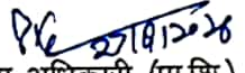
1. जिलाधिकारी, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
6. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
7. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, देहरादून।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आर.टी.ई. मानकानुसार शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को छात्र हित के दृष्टिगत उनके प्रतिस्थानी की व्यवस्था होने के उपरान्त ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, तथा अन्य शिक्षकों को एक सप्ताह के

भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका

10. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को एक सप्ताह तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

11. कार्यालय गार्ड फाइल।


जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)
देहरादून।

आ0सं0/प्र.रा.वे.-01/ 27 6 /अनु.स्था./2026-27 दिनांक: 27 अगस्त, 2026
कार्यालय ज्ञाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश (स.अ., रा.उ.प्रा.वि.)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 (1) व (2) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति पर उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या/410893/XXIV-B-1/2026/13(12)/2011 TC-I दिनांक 07 जुलाई, 2026 के क्रम में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक: सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/ 2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17(1) (ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापकों का अनुरोध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालयों में समान पद एवं वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरण किया जाता है:-

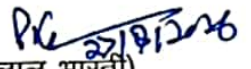
क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	पद	विषय	वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अनुरोध की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री पंकज कुमार चौहान	स.अ.	सामान्य	रा.उ.प्रा.वि. जगथान, चकराता, देहरादून।	रा.क.उ.प्रा.वि. खाण्डगांव, डोईवाला, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (एक)
2	श्रीमती कमला राणा	स.अ.	सामान्य	रा.उ.प्रा.वि. सेलाकुई, सहसपुर, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. रेस्ट कैम्प, रायपुर, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (एक)
3	श्रीमती मीरा देवी	स.अ.	सामान्य	रा.उ.प्रा.वि. दौधा, चकराता, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. पसौली, विकासनगर, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (एक)
4	श्रीमती सरिता मालवा	स.अ.	सामान्य	रा.उ.प्रा.वि. पणायसा, कालसी, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. अजबपुर चौक, रायपुर, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (एक)
5	श्रीमती सारिका बखर	स.अ.	भाषा	रा.उ.प्रा.वि. बांसागाड़, सहसपुर, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. उम्मेदपुर, सहसपुर, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (एक)
6	श्रीमती संगीता असवाल	स.अ.	विज्ञान	रा.उ.प्रा.वि. बसाया, कालसी, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. लाड़पुर, रायपुर, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (एक)
7	श्रीमती मीता रावत	स.अ.	विज्ञान	रा.उ.प्रा.वि. झुटाया, कालसी, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. जाखन, रायपुर, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (एक)
8	श्रीमती सरिता सभरवाल	स.अ.	भाषा	रा.उ.प्रा.वि. सेलालानी, कालसी, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. लक्ष्मीपुर, सहसपुर, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (एक)
9	श्रीमती रंजीता रावत	स.अ.	विज्ञान	रा.आ.उ.प्रा.वि. तुनिया, कालसी, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. नागल हटनाला, रायपुर, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (एक)
10	श्रीमती श्वेता गुलाटी	स.अ.	भाषा	रा.आ.उ.प्रा.वि. तुनिया, कालसी, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. शीतला विहार, रायपुर, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (एक)
11	श्री पपेन्द्र लाल	स.अ.	सामान्य	रा.उ.प्रा.वि. निथला, कालसी, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. लक्ष्मीपुर, सहसपुर, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (दो)
12	श्रीमती श्वेता सिंह लखेड़ा	स.अ.	विज्ञान	रा.उ.प्रा.वि. केदारवाला, विकासनगर, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. देवीपुर, सहसपुर, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (तीन)
13	श्री अरविन्द कुमार	स.अ.	सामान्य	रा.उ.प्रा.वि. सिल्ला, रायपुर, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. चन्दर रोड़, रायपुर, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (चार)
14	श्री जयदीप सिंह असवाल	स.अ.	सामान्य	रा.उ.प्रा.वि. पंजिया, कालसी, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. खुशहालपुर, सहसपुर, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (चार)
15	श्रीमती बबीता	स.अ.	सामान्य	रा.उ.प्रा.वि. सलगा, कालसी, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. किताबघर, सहसपुर, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (चार)
16	श्रीमती रानू सोलंकी	स.अ.	सामान्य	रा.आ.उ.प्रा.वि. तुनिया, कालसी, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. पपड़ियान, विकासनगर, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (चार)

PK

कमश: 2 ./-

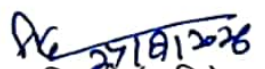
17	श्रीमती मंजू मैन्दोला	स.अ.	विज्ञान	रा.उ.प्रा.वि. सराड़ी, कालसी, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. सभावाला, विकासनगर, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (पांच)
18	श्री शक्ति प्रसाद बड़ोनी	स.अ.	भाषा	रा.उ.प्रा.वि. देहरादून मार्ग त्रयपिकेश, डोईवाला, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. लिप्टावादा, डोईवाला, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (पांच)
19	श्रीमती आशा भारती	स.अ.	भाषा	रा.उ.प्रा.वि. सम्भरखेड़ा, चकराता, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. माजरी ग्रान्ट, डोईवाला, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (पांच)
20	श्रीमती अनीता रानी	स.अ.	सामान्य	रा.उ.प्रा.वि. रावना, चकराता, देहरादून।	रा.क.उ.प्रा.वि. भोगपुर, डोईवाला, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (पांच)
21	श्री अनूप कुमार भट्ट	स.अ.	सामान्य	रा.उ.प्रा.वि. नाहीकलां, रायपुर, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. रायवाला गांव, डोईवाला, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (पांच)
22	श्री सुरेन्द्र कुमार	स.अ.	सामान्य	रा.उ.प्रा.वि. जगथान, चकराता, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. कौड़सी, डोईवाला, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (पांच)
23	श्रीमती नीता थापा	स.अ.	विज्ञान	रा.उ.प्रा.वि. निथला, कालसी, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. लक्खनवाला, विकासनगर, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (पांच)
24	श्री विरेन्द्र मनराल	स.अ.	विज्ञान	रा.उ.प्रा.वि. नाड़ा, चकराता, देहरादून।	रा.उ.प्रा.वि. तेलपुरा, सहसपुर, देहरादून।	धारा-17 (1) ख (पांच)

1. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों के स्थानान्तरण के कारण यदि सम्बन्धित विद्यालय में आर.टी.ई. मानकानुसार शिक्षकों की कमी होती है तो स्थानान्तरित शिक्षक प्रतिस्थानी के आने पर ही विद्यालय विद्यालय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
3. स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।


 (प्रेमलाल भारती)
 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)
 देहरादून।

पृ0सं0/ प्र.रा.वे.-02/ 4 910 - 19 /अनु. स्था./2026-27 तददिनांक।
 प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
6. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
7. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, देहरादून।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आर.टी.ई. मानकानुसार शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को छात्र हित के दृष्टिगत उनके प्रतिस्थानी की व्यवस्था होने के उपरान्त ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, तथा अन्य शिक्षकों को एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत करायें।
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका
10. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को एक सप्ताह तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
11. कार्यालय गार्ड फाइल।


 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)
 देहरादून।